न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 88/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

गोविन्द पिता शंकर कटारा, जाति आदिवासी (भील), निवासी बारी सियातलाई, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 28.06.2016 प्र.सं. 52/13

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री डी. के. निगम अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय पैरोकार

———::———

निर्णय **दिनांक 20–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा व रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बारी सियातलाई स्थित आराजी नंबर 2/2 की 3 बीघा भूमि पर वादी का कब्जा वर्ष 1989 से अपने बाप–दादाओं के समय से निरन्तर चला आ रहा है, जिससे उसका प्रतिकूल कब्जा परिपक्व हो चुका है। अतः विवादित भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 5 तनकियात कायम की गयी तथा प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 28–06–2016 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–10–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर दिये बिना प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। अपीलान्ट का कब्जा 30 वर्षो से अधिक समय से होने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण पुनः गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि राजस्व कैम्प में निर्णय पारित किया है, किन्तु राजस्व रेकार्ड अनुसार भूमि जंगलात की होने से वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। वैसे भी अपीलान्ट/वादी के वाद का मुख्य आधार प्रतिकूल कब्जा है, जबकि नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

गोविन्द पिता शंकर कटारा, जाति आदिवासी (भील), निवासी बारी सियातलाई, तहसील बांसवाड़ा बनाम **सरकार जरिये जिला कलक्टर, बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**88 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **बांसवाड़ा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**28**.....माह.....**06**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**20**....माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री डी.के. निगम** .....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**पैरोकार सरकार**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**20**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:03:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: